



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247207  
CG-DL-E-11072023-247207

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2917]  
No. 2917]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2023/आषाढ़ 19, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2023/ASHADHA 19, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2023

सं. 18 / 2023

**विषय:** अनुसूची 1 (आयात नीति) आईटीसी (एचएस), 2022 के अंतर्गत आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों में संशोधन के संबंध में।

**का.आ. 3042(अ).**—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अनुसूची-I (आयात नीति) आईटीसी (एचएस), 2022 के अंतर्गत आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अधिसूचित करती है:—

मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
4(घ) खाद्य आयात प्रवेश बिन्दु: भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने अनुसूची-I (आयात नीति) के परिशिष्ट-V में सूची 'क' के अनुसार एफएसएसएआई की अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 (फा. सं. 1-1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के तहत 150 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं [जिनमें 27 समुद्र पत्तन, 15 हवाई अड्डे, 31 स्थल सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) और 77 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) शामिल हैं] पर खाद्य आयात की निकासी को संचालित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। आईटीसी (एचएस) 2017 की	4(घ) खाद्य आयात प्रवेश बिन्दु: भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I के परिशिष्ट-V में सूची 'क' के अनुसार अधिसूचना दिनांक 12.11.2021 (फा. सं. 1-1715/एफएसएसएआई/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 11.06.2021 (फा. सं. 1-1715/एफएसएसएआई/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (1-1685/एफएसएसएआई/आयात/2017) अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 (फा. सं. 1-1715/एफएसएसएआई/आयात/2017/भाग-1) और अधिसूचना दिनांक 14.06.2023 (फा. सं. 1-1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के साथ पठित एफएसएसएआई की अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 (फा. सं. 1-1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के तहत 161

अनुसूची-I के परिशिष्ट-v की सूची 'ख' में यथा वर्णित 1515 एचएस कोड में उल्लिखित मदों हेतु खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर प्रतिबंध लागू होगा।	खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं [जिनमें 28 समुद्र पत्तन, 16 हवाई अड्डे, 32 स्थल सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) और 85 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) शामिल हैं] पर खाद्य आयात की निकासी को संचालित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I के परिशिष्ट-V की सूची 'ख' में यथा वर्णित 1579 एचएस कोडों में उल्लिखित मदों हेतु खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर प्रतिबंध लागू होगा।
---	--

2. अनुसूची-I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V में सूची क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(क) अतिरिक्त खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना:

क्रम सं.	पत्तन का नाम	पत्तन का कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत अधिकारी
1.	जेएनपीटी-एसईजेड	आईएनपीजेएन6	महाराष्ट्र	एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी
2.	आईसीडी-अडानी किला रायपुर-लुधियाना	आईएनक्यूआरपी6	पंजाब	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
3.	हल्दिया पत्तन	आईएनएचएएल1	पश्चिम बंगाल	एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी
4.	एसीसी जनोरी	आईएनजेएनआर4	महाराष्ट्र	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
5.	आईसीडी जनोरी	आईएनजेएनआर6	महाराष्ट्र	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
6.	सीएफएस अंबाद	आईएनएनएसके6	महाराष्ट्र	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
7.	एनडीआर सेज	आईएनएनपीके6	तमिलनाडु	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
8.	आईसीडी बरही-सोनीपत	आईएनआरयूजी6	हरियाणा	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
9.	गोलकगंज एलसीएस	आईएनजीकेजेबी	असम	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
10.	एचटीपीएल आईसीडी किलारायपुर	आईएनक्यूआरएच6	पंजाब	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
11.	एआईएसएल आईसीडी दुर्गा	आईएनडीयूआर6	पश्चिम बंगाल	एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी

ख) मौजूदा खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं में संशोधन।

क्रम सं.	मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
I	आईसीडी नागपुर (आईएनएनजीपी6)	आईसीडी मिहान (आईएनकेपीके6)

3. अनुसूची-I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V में सूची ख को इस अधिसूचना के अनुलग्नक-I पर अधिसूचित किया गया है।

**अधिसूचना का प्रभाव :** अनुसूची-I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के तहत आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों को संबंधित एफएसएसएआई अधिसूचनाओं के समकालिक खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के संबंध में संबंधित ब्यौरे को अद्यतित करने हेतु संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एम-12/पीसी-2[क]/ई-5955]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July 2023

**No. 18 /2023**

**Subject : Revision of General Notes regarding Import Policy under Schedule 1(Import Policy) ITC (HS), 2022 - reg.**

**S.O. 3042(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the General Notes Regarding Import Policy under Schedule-I(Import Policy), ITC (HS), 2022 with the following amendments:

Existing entry	Revised entry
4(D) Food Import Entry Points: To ensure the mandate of safe food imports in India, FSSAI has notified Authorised Officers to handle food import clearance at 150 food import entry points [covering 27 sea ports, 15 airports, 31 land customs stations (LCSs) and 77 inland container depots (ICDs)] vide FSSAI's Notification dated 9th October, 2019 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017) as per List A in Appendix-V to Schedule-I (Import Policy). The food import entry points restrictions shall be applicable for items against 1515 HS Codes as detailed in List B of Appendix: V to the Schedule-I of ITC (HS) 2017.	4(D) Food Import Entry Points: To ensure the mandate of safe food imports in India, FSSAI has notified Authorised Officers to handle food import clearance at <b>161</b> food import entry points [covering <b>28</b> sea ports, <b>16</b> airports, <b>32</b> land customs stations (LCSs) and <b>85</b> inland container depots (ICDs)] vide FSSAI's Notification dated 9th October 2019 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017) <b>read with Notification dated 12.11.2021 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 11.06.2021 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 31.01.2022 (1-1685/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 28.03.2023 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017/(Part-I)) and Notification dated 14.06.2023 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017)</b> as per List A in Appendix-V to Schedule-I of ITC (HS), 2022. The food import entry points restrictions shall be applicable for items against <b>1579</b> HS Codes as detailed in List B of Appendix: V to the <b>Schedule-I of ITC (HS), 2022.</b>

2. List A in Appendix-V to Schedule-I(Import Policy), ITC (HS), 2022 is revised as under:

a) Notification of Authorised Officers at additional food import entry points:

Sl	Port Name	Port Code	State/ UT	Authorised Officer
1.	JNPT-SEZ	INPJN6	Maharashtra	FSSAI Authorised Officer
2.	ICD-Adani Kila Raipur-Ludhiana	INQRP6	Punjab	Superintendent/Appraiser/ Inspector/ Examiner
3.	Haldia Port	INHAL1	West Bengal	FSSAI Authorised Officer
4.	ACC Janori	INJNR4	Maharashtra	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner

5.	ICD Janori	INJNR6	Maharashtra	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner
6.	CFS Ambad	INNSK6	Maharashtra	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner
7.	NDR SEZ	INNPK6	Tamil Nadu	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner
8.	ICD Barhi-Sonipat	INRUG6	Haryana	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner
9.	Golakganj LCS	INGKJB	Assam	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner
10.	HTPL ICD Kilaraipur	INQRH6	Punjab	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner
11.	AISL ICD Durga	INDUR6	West Bengal	FSSAI Authorised Officer

b) Revision in existing food import entry points:

Sl.	Existing Entry	Revised Entry
1.	ICD Nagpur (INNGP6)	ICD Mihan (INKPK6)

3. List B in Appendix-V to Schedule-I(Import Policy), ITC(HS), 2022 is notified at Annexure-I to this Notification.

**Effect of the Notification:** The General Notes regarding Import Policy under Schedule-I(Import Policy), ITC (HS), 2022 have been amended, to update relevant details regarding Food Import Entry Points, in sync with the relevant FSSAI Notifications.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-12/PC-2[A]/E-5955]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex- officio Addl. Secy.